शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-18/2763/26-2-2014-100(1)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2014

विषय: "समाजवादी पेंशन योजना" के संचालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2454/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 26 सितंबर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1512/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 21.06.2014 द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन हेतु समय सारिणी निर्धारित की गई है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 10 नवम्बर, 2014 तक चयनित लाभार्थियों की अनुमोदित सूची को सर्वर पर अपलोड किया जाना है। सम्भावित है कि जनपदों में उक्त योजना के लाभार्थियों के चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया होगा।

3- आप अवगत हैं कि राज्य स्तर पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा **समाजवादी पेंशन योजना का शुभारम्भ एवं परिचय पत्र वितरण** का कार्य **जनपद-लखनऊ** में **दिनांक 05.11.2014** को किया जा चुका है। प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में माह नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में एक तिथि निर्धारित कर सभी जनपदों के प्रभारी मा0 मंत्री/मा0 सांसद/मा0 विधायक की उपस्थिति में समाजवादी पेंशन योजना के शुभारम्भ का कार्य एवं लाभार्थियों के परिचय पत्र वितरण का कार्य सम्पादित किया जाना संभावित है। इस निमित्त 1000 लाभार्थियों को उक्त कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा सकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अतः उक्त के दृष्टिगत समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत जनपदों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रत्येक जनपद में कम से कम 5000 चयनित लाभार्थियों का सम्पूर्ण विवरण जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदित कराकर लाभार्थियों की फोटो, सी0बी0एस0 खाता संख्या, मोबाइल नम्बर सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा डिजिटल सिंग्नेचर से लॉक कर **विलम्बतम दिनांक 15.11.2014 तक** एन0आई0सी0 के राज्य सर्वर पर अपलोड किया जाय, ताकि समस्त जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में चयनित लाभार्थियों को धनराशि का अंतरण एवं परिचय पत्र वितरण का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किया जा सके। उक्त 5000 चयनित लाभार्थियों का चयन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ग्राम पंचायत के सभी चयनित लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाय ताकि पेंशनर का आई0डी0 सही तरीके से कम्प्यूटर द्वारा जेनरेट किया जा सके। इन लाभार्थियों में लोहिया समग्र ग्राम योजना के सभी लाभार्थियों को चयन में वरीयता प्रदान की जाये। यह भी अवगत कराना है कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जो डाटा डिजिटल सिग्नेचर द्वारा लॉक किया जायेगा, उसे एकीकृत पेंशन पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 द्वारा ऑफलाइन साफ्टवेयर, सत्यापन मॉडयूल वर्जन 1.6 दिनांक 10.11.2014 तक आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6- समाजवादी पेंशन योजना के अन्य नियमानुसार चयनित लाभार्थियों के समस्त विवरण भी सत्यापन मॉड्यूल वर्जन 1.6 पर शीघ्रातिशीघ्र इन्ट्री कराकर एन0आई0सी0 के राज्य सर्वर पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि सभी लाभार्थियों को समाजवादी पेंशन की देय धनराशि का अंतरण एवं परिचय-पत्र का वितरण बगैर किसी विलंब के सुनिश्चित किया जा सके।

यह सुनिश्चित किया जाय कि समाजवादी पेंशन योजना के समयबद्ध एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु उक्त समस्त कार्यवाही प्राथमिकता पर सम्पादित की जाय।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मंडलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।

6- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।

8- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in